न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 21 / 2022 पीडीआर एक्ट

उनवान

नगर परिषद भीलवाडा जरिये आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स जरिये स्तत्वधारी श्री दीपक महावर पता– 9 जी 20, पटेल नगर भीलवाडा।
2. श्री दीपक महावर स्तत्वधारी मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स पता– 9 जी 20, पटेल नगर भीलवाडा।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित –
1. अधिवक्ता प्रार्थी – राजेन्द्र कचौलियॉ, छोटूलाल माली।
2. अधिवक्ता विपक्षी – अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07/01 / 2026

1– प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि– प्राथी नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में सत्र 2020–21 के लिये विज्ञापन होर्डिंग / विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने हेतु एक साथ निलामी दिनाक 19.11.2020 को लगाई गई जिसमें विपक्षी मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स जरिये स्तत्वधारी श्री दीपक महावर ने भी निलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग साईड संख्या 11, 17, 18, 19, 21, 23, 33, 41, 53, 64, 69, 78, 82, 97, 125 व 145 के लिये निलामी बोली रूपये 12,56,000 / – बारह लाख छप्पन हजार रूपये छुडाई गई। उक्त राशि मे से विपक्षीगण ने अब तक 6,01,000 / – रूपये प्रार्थी के यहॉ जमा कराये है।

2– विपक्षी ने प्रार्थी के यहाँ निलामी बोली छुडाने के बाद एवं चरण संख्या 01 में वर्णित राशि जमा कराने के बाद से ही कोई बकाया राशि जमा नहीं कराई और सत्र 2020–21 के लिये विज्ञापन होर्डिंग / विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन को काम लेकर विज्ञापन लगाने लगे और लोंगों से पैसा लेने लगे परन्तु कोई राशि प्रार्थी के यहाँ जमा नहीं कराई।

3– प्रार्थी के कार्यालय के यहाँ से विपक्षी मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स जरिये स्तत्वधारी श्री दीपक महावर को बकाया राशि जमा कराने हेतु कई नोटिस जारी किये गये जिनका विवरण निम्न है–पत्र क्रमांक / नपभी / राजस्व / 2020 / 15689–90 दिनाक 08.12.2020, नोटिस क्रमांक / नपभी / राजस्व / 2021 / 20958–61 दिंनाक 09.03.2021 व नोटिस क्रमांक / नपभी / राजस्व / 2021 / 2591–92 दिंनाक 28.05.2021 व नोटिस क्रमांक / नपभी / राजस्व / 2021 / 5366 दिनाक 05.07.2020 तथा अन्तिम नोटिस क्रमांक / नपभी / राजस्व / 2021 / 10405–11 दिनाक 13.09.2021 उक्त सभी नोटिस विपक्षी को जारी कर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी से नीलामी प्रकिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग साईड संख्या 11, 17, 18, 19, 21, 23, 33, 41, 53, 64, 69, 78, 82, 97, 125 व 145 के लिये नीलामी बोली छुडाई एवं विपक्षीगण के पेटे बकाया राशि कुल 8,80,388/– रूपये मय ब्याज व जीएसटी सहित बकाया है, को जमा कराने हेतु जारी किया गया था।

4– विपक्षी को प्रार्थी द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी विपक्षी मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स जरिये स्तत्वधारी श्री दीपक महावर द्वारा चरण संख्या 01 में वर्णित राशि के अन्यथा कोई राशि प्रार्थी कार्यालय नगर परिषद भीलवाडा के यहाँ जमा नहीं कराई है। उक्त सरकारी बकाया राशि की वसूली हेतु प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

5– विपक्षी के विरूद्व धारा 03 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 (public Debt Recovery Act) के अन्तर्गत वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जावे एवं प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात विपक्षीगण से प्रार्थी की बकाया राशि वसूल करवाई जावे।

6– विपक्षी मदयून का माल, बैंक खाते से व धन, बैंक नोट बैंक विनिमय पत्र हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जावे।

अतः प्रार्थी की और प्रस्तुत वसूली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स जरिये स्तत्वधारी श्री दीपक महावर से सत्र 2020–21 की नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग/विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने की होर्डिंग साईड संख्या 11, 17, 18, 19, 21, 23, 33, 41, 53, 64, 69, 78, 82, 97, 125 व 145 के लिये निलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 8,80,388/– रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत वसूल करने हेतु वसूली प्रमाणपत्र जारी कराया जावे तथा प्रमाण पत्र अनुसार वसूली हेतु विपक्षीगण मदयून का माल, बैंक खातें से व घन, बैंक नोट चैक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

7– **बाद जांच प्रकरण दिनांक 23.03.2022 को पजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी व विपक्षी संख्या 01 व 2 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर आदेशिका दिनांक 30.04.2025 से एकपक्षीय कार्यवाही की के आदेश पारित किये गये।**

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि– विपक्षी मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स जरिये स्तत्वधारी श्री दीपक महावर से सत्र 2020–21 की नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग/विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने की होर्डिंग साईड संख्या 11, 17, 18, 19, 21, 23, 33, 41, 53, 64, 69, 78, 82, 97, 125 व 145 के लिये निलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 8,80,388/– रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी.सहीत वसूल करने हेतु वसूली प्रमाणपत्र जारी कराया जावे तथा प्रमाण पत्र अनुसार वसूली हेतु विपक्षीगण मदयून का माल, बैंक खातें से व घन, बैंक नोट चैक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

8— प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि— प्राथी नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में सत्र 2020—21 के लिये विज्ञापन होर्डिंग/ विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने हेतु एक साथ निलामी दिनाक 19.11.2020 को लगाई गई जिसमें विपक्षी मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स जरिये स्तत्वधारी श्री दीपक महावर ने भी निलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग साईड संख्या 11, 17, 18, 19, 21, 23, 33, 41, 53, 64, 69, 78, 82, 97, 125 व 145 के लिये निलामी बोली रूपये 12,56,000/— बारह लाख छप्पन हजार रूपये छुडाई गई। उक्त राशि में से विपक्षीगण ने अब तक 6,01,000/— रूपये प्रार्थी के यहॉ जमा कराये है। कुल राशि 8,80,388/— मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत बकाया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 (पीडीआर एक्ट) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार किया जाता है। विपक्षी 1. मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स जरिये स्तत्वधारी श्री दीपक महावर पता— 9 जी 20, पटेल नगर भीलवाडा, 2. श्री दीपक महावर स्तत्वधारी मैसर्स सुभाषदीप एडवरटाईजर्स पता— 9 जी 20, पटेल नगर भीलवाडा, जिला भीलवाडा से 8,80,388/— रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत वसूली योग्य ठहरती है। मांग राशि 8,80,388/— रूपये के 02 प्रतिशत खर्चा राशि वसूल करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व लेखा अनुभाग, जिला कलेक्ट्रेट भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड नगर निगम भीलवाडा जरिये आयुक्त, नगर निगम भीलवाडा को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा